डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

अज अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।

बइजलास –रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जबरसिंह पुत्र श्री जालमसिंह जाति राजपूत निवासी तापू तहसील औसिया जिला जोधपुर ।		1 स्वरूपकवंर पुत्री श्री पेम्पसिंह पत्नि श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी राणावता तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2 चेनसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति राजपूत निवासी तापू तहसील बावडी जिला जोधपुर । 3 श्री तहसीलदार साहब, औसिया ।

मुकदमा नम्बर 51/2014

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम तापू के खसरा नम्बर 281रकबा 12 बीस्वा, खसरा नम्बर 282 रकबा 3बीस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 2 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा स्थाई निशेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के हक हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार डिक्री जारी की जाती है मुवलिग.....बाबत .....खर्चा मुकदमे के मय सूद व शरह .....फिसदी सालानाआज की तारीख वसूलयागी तक .....को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिंनाक 14/8/19 को जारी की गई ।

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			किस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुद्दकरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट खर्चा खर्च के फार्म पर कूल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया

सहायक कलेक्टर, औसिक

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी –श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 51/2014

वादी :–

1 जबरसिंह पुत्र श्री जालमसिंह
जाति राजपूत निवासी तापू
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

प्रतिवादीगण :–

1 स्वरूपकवंर पुत्री श्री पेम्पसिंह पत्नि श्री रामसिंह
जाति राजपूत निवासी पालडी राणावता
तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ।
2 चेनसिंह पुत्र श्री हरीसिंह
जाति राजपूत निवासी तापू
तहसील बावडी जिला जोधपुर ।
3 श्री तहसीलदार साहब, औसिया ।

उपस्थिति –
1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता वादीनी की ओर से ।
2 प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यावाही।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. व धारा 136 आर.एल. आर.एक्ट.

– निर्णय – **दिंनाक –** 14/8/19

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तापू के खसरा नम्बर 281 रकबा 12 बीस्वा , खसरा नम्बर 282 रकबा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा भूमि वादी की खरीद सुदा व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मीर कवंर पत्नि श्री पेम्पसिंह के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी । पूर्व खातेदार मीरकवंर से वादी ने दिंनाक 23.

सहायक कलेक्टर, औसिया

6.1990 को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के उक्त भूमि खरीद की थी । उक्त भूमि का वादी ने अपने पक्ष मे विधिवत तरीके से बेचान नामा पंजीयन करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा उक्त बेचान नामा की फोटो प्रति वादी ने तत्कालीन हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दे दी थी । वादी ने तत्कालीन हल्का पटवारी से उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करने के लिए पुछा तब हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे तुम्हारे नाम से म्यूटेशन दर्ज हो जायेगा । वादी हल्का पटवारी के कहे अनुसार इसी विश्वास मे रहा कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज हो गया होगा । वादी का वादग्रस्त भूमि पर वक्त खरीद से आज दिन तक शांन्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के विकाश कार्य करवाने के लिए वादी ने हल्का पटवारी से दिंनाक 14.9.12 को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 281 रकबा 12 बीस्वा भूमि चेनसिंह पुत्र श्री हरीसिंह के नाम से दर्ज है तब वादी ने म्यूटेशन की नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि पूर्व खातेदार मीरकवंर ने खसरा नम्बर 281 रकबा 12 बीस्वा भूमि का बेचान मुझ वादी के पक्ष मे विधिवत तरीके से करने के बाद उसी खसरा की भूमि का पुनः बेचान नामा प्रतिवादी संख्या 2 चेनसिंह पुत्र श्री हरीसिंह के पक्ष मे दिंनाक 28.11.1990 को कर दिया है जो वादी के हितो के खिलाफ शुन्य प्रभावी तथा नल एण्ड वोईड है । पूर्व खातेदार मीरकवंर द्धारा दिंनाक 23.6.1990 को वादी के पक्ष मे विधिवत तरीके से बेचान करने के बाद पुनः उसी भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही था । प्रतिवादी संख्या 2 ने हल्का पटवारी से मिल कर बाले बाले उक्त वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 281 के राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम से दर्ज करवा ली । जो वादी के हितो के खिलाफ शुन्य व बेअसर तथा नल एण्ड वोईड है । इसलिए वादी खसरा नम्बर 281 के राजस्व रेकर्ड मे चेनसिंह का नाम हटवा कर अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है । वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 282 रकबा 3 बीस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 2 बीघा के राजस्व रेकर्ड मे भी हल्का पटवारी ने वादी

सहायक कलेक्टर, बांसवाड़

Scanned by CamScanner

के नाम से दर्ज नही की । राजस्व रेकर्ड मे पूर्व खातेदार मीरकवंर के फौत होने पर उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे मीरकवंर के स्थान पर स्वरूपकवंर पुत्री श्री पेम्पसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया जब कि मीरकवंर द्वारा उक्त दोनो खसरान की भूमि का बेचान वादी के पक्ष मे किया हुआ था । वादी द्वारा उक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बताया तथा कहा कि राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के गलत नाम दर्ज है जिसे वादी अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कहा कि वादग्रस्त भूमि के खसरान की भूमि का बेचान नामा तुम्हारे नाम से किया गया है तथा उक्त भूमि पर वक्त खरीद से आज दिन तक तुम्हारा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जब भी मौका मिलेगा तब उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे तुम्हारा नाम दर्ज करवा देगे । वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा यही कहते रहे कि जब भी मौका मिलेगा तब वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे तुम्हारा नाम दर्ज करवा देगे । अभी हाल ही मे दिंनाक 2.4.2014 को वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तब प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया एवं वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादी राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के नाम दुरूस्त करवा कर वादग्रस्त भूमि अपने नाम से घोषित करवा कर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का बाबत यह वाद पेश कर रहा है । वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मीरकवंर द्वारा वादी के पक्ष मे बेचान नामा विधिवत रूप से पंजीयन करवा कर मौके पर वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया था । उक्त भूमि के संम्पूर्ण अधिकार वादी के पक्ष मे हस्तान्तरण करने के बाद उक्त भूमि को पुनः बेचान नामा जो अवैधानिक, गलत, अनुचित एवं गैर कानूनी तरीके से चेनसिंह के पक्ष मे किया गया था जो स्वतः ही गैर कानूनी व विधि विरूद्ध व वादी के हितो के खिलाफ शुन्य प्रभावी है इसलिए उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे चेनसिंह पुत्र श्री

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned by CamScanner

हरीसिंह का नाम हटवा कर वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है । खसरा नम्बर 415 ,282 की भूमि का पूर्व खातेदार मीरकवंर द्वारा विधिवत तरीके से वादी के पक्ष मे बेचान नामा निष्पादित कर दिया था जिससे मीरकवंर के वारिसान का उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे कोई अधिकार नही रह जाता है इसलिए वादी स्वरूपकवंर के स्थान पर अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि का वादी के पक्ष मे किये गये विधिवत तरीके से बेचान नाम के आधार पर एवं मौके पर वादी का वक्त खरीद से आज दिन तक शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया सृदृढ मामला वादी के पक्ष मे बनता है यदि प्रतिवादीगण ने गलत, अनुचित तरीके से राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सकेगी सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष मे बनता है ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही किसी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया और न ही उक्त वाद का खण्डन किया है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । वादीगण की साक्ष्य ली गई तथा गवाह पी. डब्ल्यू –1 जबरसिंह को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया । वाद पत्र मे वादी द्वारा बताये गये खसरान की भूमि वादी का वादी को बेचान के अनुसार खातेदार घेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ।

सहायक कलेक्टर, धोलपुर

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तापू के खसरा नम्बर 281रकबा 12 बीस्वा, खसरा नम्बर 282 रकबा 3बीस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 2 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा स्थाई निशेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के हक हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार डिक्री जारी की जावे ।

सहायक कलक्टर, औसिया
सहायक कलेक्टर, ओसियां

निर्णय आज दिंनाक 14/8/19 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर ,ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner